

1 अर्थ  
91 फी 16



**BY REGISTERED POST**

भारत सरकार  
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग  
GOVERNMENT OF INDIA  
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

गेट नं. ४, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५ संसद मार्ग  
पटेल चौक, नई दिल्ली - ११० ००९  
Gate No. 4, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg  
Patel Chowk, New Delhi - 110 001

Dated.....

F. NO. 800 OF 2015 - 7/62

1<sup>st</sup> April, 2016

To

Mr. Hyder Ali,  
Secretary,  
Aamna Educational Society,  
Ward 06, Mohalla Char Bisa,  
Town Dasna,  
Dist. Ghaziabad,  
Uttar Pradesh – 201 302

Sir,

Please refer to your application dated 20.04.2015 in the prescribed format for obtaining the certification of minority status for your college.

The Commission vide its Order dated the 17.03.2016 has decided to issue the Minority Status Certificate to Aamna Law College, Opp. State Bank (NH-24), Town Dasna, Dist. Ghaziabad, Uttar Pradesh. Please find enclosed herewith the Minority Status Certificate dated the March 17, 2016 in original, in respect of the said college.

Please acknowledge receipt.

Enc: As above

Yours faithfully,

  
(Rita Chatterjee)  
Secretary  
Tel: 23367759



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

गेट नं. ४, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५ संसद मार्ग  
पटेल चौक, नई दिल्ली - ११० ००९

Gate No. 4, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg  
Patel Chowk, New Delhi - 110 001

Dated.....

## C E R T I F I C A T E

THIS IS TO CERTIFY THAT BY THE ORDER DATED 17<sup>TH</sup> DAY OF MARCH 2016 PASSED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS, NEW DELHI IN CASE NO. 800 OF 2015 (AAMNA LAW COLLEGE, OPP. STATE BANK (NH-24), TOWN DASNA, DIST. GHAZIABAD, UTTAR PRADESH, VS. DEPUTY DIRECTOR, MINORITIES WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH), AAMNA LAW COLLEGE RUN BY AAMNA EDUCATIONAL SOCIETY, HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 17<sup>TH</sup> DAY OF MARCH, 2016.



  
(RITA CHATTERJEE)  
SECRETARY

श्रीधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1976  
दिनांक : 23.08.2016


सेवा में,  
✓ सचिव,  
आमना लॉ कालेज,  
डासना (गाजियाबाद)

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 23.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ शासन के पत्र संख्या-1027/सत्तर-6-2016-94/2006टी0सी0 दिनांक 14.07.2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए संस्थान को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने का अनुरोध किया गया है।


उक्त के संदर्भ में सूच्य है कि शासनादेश दिनांक 14.07.2016 के अनुसार माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 19.08.2016 के क्रम में आपके संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान ट्रीट किया जाता है।

भवदीय,

  
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

  
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

शुक्र.

मधु जोशी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन,  
सेवा में,  
निदेशक, उच्च शिक्षा,  
उ.प्र., इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 14 जुलाई, 2016

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था 'ट्रीट' किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्था की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्रम	संस्था का नाम	भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र में अंकित फाइल नम्बर	धर्म
1	सरदार बेगम मेमोरियल डिग्री कॉलेज, सम्भल रोड, हसनपुर, अमरोहा, उ.प्र.	F.No. 444 OF 2014 - 22879 दिनांक 06 फरवरी 2015 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 08 जनवरी, 2015	मुस्लिम
2	आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं. 199, एच.एच. 26, महर्षी, ललितपुर, उ.प्र.	F.No. 697 OF 2013 / 5768 दिनांक 27 मई 2013 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 22 मई 2013	जैन
3	आमना लॉ कॉलेज, अपोजिट स्टेट बैंक, (एन.एच. 24) डासना, गाजियाबाद, उ.प्र.	F.No. 800 OF 2015 - 7162 दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 17 मार्च 2016	मुस्लिम
4	असीम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज, शेखपुर रोड, मीरा सराय, बदायूँ, उ.प्र.	F.No. 1253 OF 2010 / 45306 दिनांक 07-09-2010 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 07 सितम्बर, 2010	मुस्लिम
5	यूनिटी डिग्री कॉलेज, स्वार रामपुर, उ.प्र.	F.No. 2477 OF 2014 - 723 दिनांक 01 मई, 2015 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 08 अप्रैल 2015	मुस्लिम

6	अब्दुल उस्मान महाविद्यालय, प्लॉट नं. 47, 48 एण्ड 36 रायपुर (पलिया), पोस्ट-छपरा, तहसील-मोहम्मदाबाद, जनपद- मऊ, उ.प्र.	F.No. 209 OF 2016-7161 दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 16 मार्च 2016	मुस्लिम
---	---	---	---------

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) से आच्छादित पाठ्यक्रमों हेतु उक्त संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में 'ट्रीट' किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(मन्तु जोशी)

विशेष सचिव।

संख्या-1027(1)/सत्तर-6-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
- 2 सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
- 3 कुलसचिव, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- 4 कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
- 5 कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- 6 कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
- 7 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ, झांसी, बरेली एवं वाराणसी।
- 8 सचिव/प्रबन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- 9 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 एवं 3
- 10 अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 11 विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से.

(अखिलेश अग्निहोत्री)

संयुक्त सचिव।

५